Source: - राजस्थान पत्रिका
Date:- 31.03.2019
Page:- 06

तीनों जगहों से बरामद किया गया 16.34 किलोग्राम सोना

बड़ाबाजार, सदर स्ट्रीट और साल्टलेक से डीआरआइ ने 5.37 करोड़ रुपए का सोना किया जब्त

तस्करी के आरोप में 6 आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता @ पत्रिका. राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की टीम ने 25 से 28 मार्च तक तीन अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर 5.37 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है। जब्त सोने का वजन 16.34 किलोग्राम है। इस कीमती धातु की तस्करी के मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी से पूछताछ की जा रही है। डीआरआई के पूर्वी क्षेत्रीय उपनिदेशक पार्थ प्रतिम बोस ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

पार्थ प्रतिम ने बताया कि डीआरआई की टीम को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति महेश राय और रेजिना फाराचिनसिंगी उर्फ रीता मेइसेक को कोलकाता के सदर स्ट्रीट स्थित एक होटल में रखा गया है। इन दोनों के पास म्यांमार से तस्करी कर लाया गया विदेशी मूल का सोना है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए डीआरआई की टीम ने 25 मार्च को उक्त होटल में छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 4.98 किलोग्राम सोना जब्त किया गया, जिसकी कीमत 1.65 करोड़ रुपए है। उनसे पूछताछ के बाद अगले दिन यानी 26 मार्च को साल्टलेक के एक गेस्टहाउस में छापेमारी की गई। वहां से डीआरआई की टीम ने इसहाक नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके पास से 3.326 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। जिसकी कीमत 1.09 करोड़ रुपए है। इसहाक के पास से जब्त सोना भी म्यांमार से लाया गया था। तीसरी जब्ती बड़ाबाजार हंसपुकुर लेन में हुई। 28 मार्च की शाम को डीआरआई की टीम ने छापेमारी कर वहां से 8.048 किलोग्राम सोना जब्त किया। जिसकी कीमत 2.63 करोड़ रुपए है। वहां से 75.3 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए। यहां से राजू दत्ता, चिरंजीत दत्ता और सुमन साहा नामक तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।